

16/11/24

पत्रावली पेश हुई। शर्मा वकील अलग।
 हुंकि मूल आवेदन को अदालत परखी अदालत
 काजरी में खारीज किया जा चुका है अब वह
 आवेदन को अगले जलाने जा कोई भी अतिरिक्त
 नहीं है अतः वह आवेदन की कार्यवाही
 बंदी कर ले प्रसाद की जाती है पत्रावली
 मूलल शुभारंभ होकर जारी रखे। मूल
 आवेदन के प्रत्येक को।



(Signature)